सार-समाचार

मास्टर एवं जोनल डवलपमेंट प्लान में आरक्षित होटल जोन में होटल जोन से संबंधित विभिन्न अन्य गतिविधियों के अनुज्ञेय का गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित

जोधपुर (कासं)। जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 के धारा 25(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 मार्च, 2023 को मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 एवं जोनल डवलपमेंट प्लान में आरक्षित होटल जोन में होटल से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियां यथा होटल, मल्टीप्लेक्स/सिनेमा हॉल, रिसोर्ट, फिल्म सिटी, रिसोर्ट हाउसिंग, गेस्ट हाउस, वाणिज्यिक मॉल, जिला वाणिज्यिक केन्द्र, वाणिज्यिक कॉम्पलेक्स, क्लब/पब, बैंक, हॉलिडे कॉटेज, रेस्टोरेन्ट, मोटल, मैरिज गार्डन, कन्वेन्शन सेंटर, बैंक्वेट हॉल, फिटनेस सेन्टर, फ्यूल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल पम्प, सरकारी/जन उपयोगी सुविधाएँ एवं एम्यूजमेंट/वॉटर पार्क इत्यादि अनुज्ञेय किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्राधिकरण सचिव जयनारायण मीणा ने बताया कि उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र विशेषांक श्रावण 12, गुरूवार, शाके 1945-अगस्त 03, 2023 भाग 6 (ख) में साधिकार प्रकाशित की जा चुकी है। मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 एवं जोनल डवलपमेंट प्लान में आरक्षित होटल जोन में होटल जोन से संबंधित उक्त उपयोगों को अनुज्ञेय करते समय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं प्रचलित भवन विनियम अनुसार सड़क मार्गाधिकार तथा न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल का प्रावधान सुनिश्चित किया जायेगा।

जेडीए द्वारा आज ग्राम पाल, मण्डोर एवं गेंवा के शिविर

जोधपुर (कासं)। जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त देवेन्द्र कुमार के निर्देशानुसार प्राधिकरण द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत आयोजित शिविरों के क्रम में शुक्रवार, 11 अगस्त को जोन 3 के ग्राम पाल के नवीन अनुमोदित खसरा संख्या 183, 186, 323 व पूर्व अनुमोदित खसरों हेतु पाल पंचायत भवन, जोन 6 के मण्डोर के खसरा संख्या 1573 से 1578 हेतु आदित्य नगर पार्क बालसमन्द मण्डोर एवं जोन 5 के ग्राम गेंवा के खसरा संख्या 184, 636/3 व नवीन अनुमोदित खसरों हेतु जेडीए कार्यालय प्रांगण में शिविर का आयोजन किया जाएगा। जेडीए द्वारा गुरूवार को उपायुक्त जोन 3 श्रवणसिंह राजावत एवं उपायुक्त जोन 6 श्रवण कुमार के निर्देशन में जोनवार ग्राम पाल एवं ग्राम मण्डोर में शिविर का आयोजन कर आमजन के नाम हस्तान्तरण, उपविभाजन एवं पुर्नगठन, भवन मानचित्र अनुमोदन एवं लीज राशि इत्यादि विभिन्न प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण करते हुए पट्टों का वितरण किया जा रहा है। जेडीए द्वारा आगामी सप्ताह में भी जोनवार विभिन्न शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

प्याज के कट्टों के बीच छुपाए शराब से भरे 136 कार्टन जब्त

जोधपुर (कासं)। बोरानाडा थाना पुलिस ने बाड़मेर हाइवे पर नारनाडी व भाण्डू गांव के बीच बोलेरो पिकअप में प्याज के कट्टों

जोधपुर से बाड़मेर ले जाई जा रही शराब, चालक गिरफ्तार

के बीच छुपाकर ले जाई जा रही देसी शराब से भरे 136 कार्टन जब्त किए। चालक को गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी देवीचंद ढाका ने बताया कि गंगाणा फांटा के पास स्थाई नाका लगाकर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इसी दौरान जोधपुर से बाड़मेर की तरफ जा रही बोलेरो पिकअप को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक और तेज रफ्तार से पिकअप भगाने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने पिकअप का पीछा शुरू किया और नारनाडी व भाण्डू के बीच पिकअप रुकवा ली। तलाशी लेने पर उसमें प्याज से भरे कट्टे नजर आए, लेकिन पिकअप भगाने से संदेह के चलते कट्टे हटाकर तलाशी ली गई तो देसी शराब से भरे 136 कट्टे नजर आए। आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर शराब के कट्टे जब्त किए गए। पिकअप जब्त कर बाड़मेर में रामसर थानान्तर्गत खारा राठौड़ान गांव में बिश्नोइयों की ढाणी निवासी चालक आसूराम पुत्र भगवानाराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। अवैध शराब के संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है।

स्मार्ट फोन से डिजिटल हुई महिलाएं

12 अगस्त तक जोधपुर के 3 जिलों में 9 शिविर लगेंगे

जोधपुर (कासं)। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत आज गुरुवार से हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के बिड़ला सभागार से योजना की शुरुआत की। इधर जोधपुर में डीआरडीए हॉल से वर्चुअल जुड़ कर योजना का शुभारंभ किया। जहां मुख्यमंत्री गहलोत लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। इस मौके पर पशु धन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी, महापौर उत्तर कुंती देवड़ा, जिलाध्यक्ष नरेश जोशी, सलीम खान, उप महापौर अब्दुल करीम जोनी।

जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा व अन्य अधिकारी मौजूद थे। शहर में गुरुवार को 9 कैंप में 450 स्मार्ट फोन बांटे गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार दोपहर बिड़ला सभागार में 'इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना' का शुभारम्भ हुआ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन व इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ सिम वितरित किया। साथ ही ए 'डिजिटल सखी बुक' लॉन्च करने के बाद राज्य स्तरीय समारोह

को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सभागार में उपस्थित तथा वी.सी. से जुड़ी लाभार्थियों से संवाद भी किया।

तीनों जिलों में 12 अगस्त तक ब्लॉकवार शिविर

इस योजना के तहत आगामी 12 अगस्त तक तीनों जिलों फलौदी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर में कुल मिलाकर 9 स्थानों पर शिविरों का आयोजन होगा। सभी शिविरों में गुरूवार को 50, 50 फोन वितरित किए जाएंगे। ऐसे में जोधपुर में कुल 450 फोन बांटे गए।

जोधपुर ग्रामीण में यहां होगा शिविर

जोधपुर ग्रामीण जिले में मण्डोर ब्लॉक में सामुदायिक भवन, हनुमान वाटिका, बनाड़ में, तिंवरी ब्लॉक अन्तर्गत पंचायत समिति तिंवरी और धवा ब्लॉक में राउमावि में यह शिविर आयोजित होगा।

अमृतलाल स्टेडियम चैनपुरा में लगेगा शिविर

जोधपुर शहर जिले में नगर निगम उत्तर में अमृतलाल स्टेडियम चैनपुरा में शिविर लगेगा। जबकि नगर निगम दक्षिण में दो स्थानों पर शिविर आयोजन होगा। इनमें एक शिविर दीनदयाल पार्क कमला नेहरू नगर और दूसरा शिविर पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर में लगेगा।

फलौदी जिले में बाप ब्लॉक में सीनियर स्कूल के पास आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, लोहावट ब्लॉक में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जाटावास में और फलौदी ब्लॉक अन्तर्गत स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय फलौदी में शिविर आयोजित होगा।

पानी की टंकी पर चढ़े युवकों पर मधुमक्खियां का हमला

नीचे उतरने के दौरान टंकी से गिरा युवक, जोधपुर रैफर

जोधपुर (कासं)। जोधपुर ग्रामीण के शेरगढ़ विधानसभा के देचू क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर दो युवक टंकी पर चढ़ गए। युवकों का कहना था कि गांव में लंबे समय से पानी की किल्लत है कोई भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए मजबूर होकर उन्हें टंकी पर चढ़ना पड़ा।

इसी दौरान अचानक टंकी पर चढ़े युवकों पर मधुमक्खियों के दल ने हमला बोल दिया। इसके चलते उतरने के दौरान एक युवक श्रवण 15 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। जिसे चोटिल अवस्था में ग्रामीण देचू के सरकारी चिकित्सा केंद्र में लेकर आए। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रैफर किया गया है। युवक के शरीर पर कई जगहों पर मधुमक्खियों ने काट दिया। लगभग 2 घंटे तक चले इस घटनाक्रम के बीच कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा।

टंकी पर चढ़े युवक ने वीडियो जारी कर बताया कि उनके गांव ढाडिया क्षेत्र के दर्जियों की ढाणी में पिछले 12 महीनों से पेयजल सप्लाई नहीं हो रही है। इसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की समस्या को लेकर कई बार स्थानीय सरपंच से लेकर पीएचईडी के अधिकारियों को भी बताया गया लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। सरपंच को बोलने पर पेयजल विभाग के पास जाने को बोलते हैं। वहीं पेयजल विभाग के जेईएन फोन भी नहीं उठाते हैं। इसलिए मजबूर होकर उन्हें टंकी पर चढ़ना पड़ रहा है। युवक ने आरोप लगाया कि गांव में पानी की किल्लत को देखते हुए टैंकर से भी सप्लाई समय पर नहीं हो रही है। अधिकारी ग्रामीणों की पीड़ा को नहीं सुन रहे हैं। इस दौरान टंकी के नीचे ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई।

इधर घटना के बाद भी मौके पर पीएचईडी अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने बताया शेरगढ़ विधानसभा के इस गांव में पिछले लंबे समय से पानी की किल्लत है। पीएचईडी के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहां पर ट्यूबवेल बंद पड़ी है। 1500 रुपए देकर भी पानी के टैंकर नहीं मिल रहे हैं। इस घटना को लेकर भी एईएन, जेईएन को कॉल किया लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। जनप्रतिनिधि भी समस्या को लेकर सुनवाई नहीं कर रहे हैं।

बाइक चुराकर बेची, कल-पुर्जे तोड़ इंजन कबाड़ में बेचा

चोरी करने वाले से लेकर कबाड़ी तक पांच गिरफ्तार, बाइक का इंजन, चैसिस व अन्य हिस्से बरामद

जोधपुर (कासं)। देवनगर थाना पुलिस ने बलदेव नगर में एक क्लिनिक के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इनमें बाइक चोरी करने से लेकर टुकड़े-टुकड़े करने व कबाड़ में खरीदार शामिल हैं। बाइक का इंजन, चैसिस व अन्य हिस्से और चोरी की एक मोपेड बरामद की गई है।

आरपीएस व थानाधिकारी शिवम जोशी ने बताया कि मूलतः चानणा भाखर में जोशी कॉलोनी हाल कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड में गोकुल धाम सोसायटी निवासी स्वरूप जोशी की बाइक गत दो अगस्त को बलदेव नगर में एक क्लिनिक के बाहर से चोरी कर ली गई थी। सीसीटीवी फुटेज में चोर नजर आ गया। उसके आधार पर चोर की तलाश शुरू की गई। द्वारका प्रसाद व रामहरी राव को हिरासत में लिया गया। दोनों ने चोरी की बाइक आसिफ खान को बेचना बताया। आसिफ को हिरासत में लिया गया तो पता लगा कि बाइक के पुर्जे अलग-अलग करने व तोड़ने के लिए मोहम्मद रफीक को दी थी, जहां से बाइक का इंजन लाकर बासनी में कबाड़ी मोहम्मद शफीक को बेच दिया था। पुलिस ने चानणा भाखर में आचार्य कॉलोनी निवासी द्वारका प्रसाद (32) पुत्र हुक्मीचंद आचार्य, शिव बस्ती निवासी रामहरी (30) पुत्र बच्चूराम राव, शिव कॉलोनी निवासी आसिफ खान (22) पुत्र अब्दुल कादिर, पुराने स्टेडियम के पीछे निवासी मोहम्मद रफीक उर्फ राजू (35) पुत्र मोहम्मद इकबाल और उदयमंदिर में मेड़ती गेट के पास निवासी मोहम्मद शफीक (49) पुत्र छोटू को गिरफ्तार किया गया।

ग्रामीणों ने गौ तस्करों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया

राजसमंद (प्रातःकाल संवाददाता)। जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र के रिछेड़ गांव में दो गौ तस्करों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तस्करों को डिटेन किया है। जानकारी के अनुसार पिकअप गाड़ी में गोवंश तस्करी की सूचना रिछेड़ गांव के ग्रामीणों को मिली। जिस पर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर पिकअप को रुकवाया तो उसमें गोवंश भरा हुआ था। जिसके बारे में ग्रामीणों ने गाड़ी में मौजूद दो व्यक्तियों से पूछा तो वह सही जवाब नहीं दे पाए। ग्रामीणों ने गो तस्करी की आशंका जताते हुए जब पूछताछ की तो उन्होंने माना कि वह करीब 1 साल से गो तस्करी कर रहे हैं ।

जोधपुर शहर में दिनदहाड़े चोरी

जोधपुर (कासं)। शहर में चोर अब दिन दहाड़े सामान चुराकर ले जा रहे हैं। कई मामलों में सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी चोर पुलिस पकड़ से दूर है। ऐसा ही एक मामला चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र का है। यहां दिन के समय बाइक सवार चोर डीजे का सामान चुरा कर ले गया। चोर 1 मिनट से भी कम समय में डीजे का सामान चुरा कर ले गया।

1 मिनट में चुराया डीजे का सामान, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

गोदाम मालिक सूरज प्रजापत ने बताया 21 सेक्टर में उसका डीजे के सामान का गोदाम है। पिछले कई वर्षों से वो साउंड सेटअप लगाने का काम करते हैं। गुरुवार की दोपहर यहां पर 3.58 पर एक बाइक सवार चोर आया। आस पास देखने के बाद उसने गोदाम के पास रखा साउंड सेटअप का सामान चुरा लिया। यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद थाने में जाकर शिकायत दी गई।

गोदाम में इससे पहले भी कई बार सामान चोरी की वारदात हो चुकी है। इसी के चलते परेशान होकर गोदाम मालिक ने यहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए थे। जिससे चोर को पकड़ा जा सके। पीड़ित ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे हैं। बता दें कि इन दिनों शहर के मकानों दुकानों में अचानक से चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। शातिर चोर मौका पाकर दुकान और मकान से नकली और आभूषण चुरा रहे हैं। कई चोर नशे की लत के चलते भी चोरियां कर रहे हैं। छोटे मामलों में कई बार पुलिस पीड़ित की शिकायत भी दर्ज नहीं करती है।

व्यवसायी के साथ हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा

मुख्य आरोपी सहित तीन गिरफ्तार, लूटी गई राशि 96,000 रुपए बरामद

फलोदी (कासं)। फलोदी जिला क्षेत्र में शैतानसिंह नगर, नागौर हाईवे पर भुजिया सप्लायर के स्टाफ के साथ हुई लूट मामले में आज जिला पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी सहित अन्य 2 को गिरफ्तार किया गया है फलोदी एसपी विनीत कुमार बंसल ने बताया फलोदी जिले के लोहावट थाना क्षेत्र में शैतान सिंहनगर में फलोदी-नागौर हाइवे पर बालोतरा से नोखा जा रहे नमकीन व्यवसायी गाड़ी के ड्राइवर को डरा-धमकाकर बिना नम्बरी बोलेरो में सवार होकर आए बदमाशों ने 5 लाख 8500 रुपए लूटकर फरार हो गए थे। लूट की घटना के बाद सूचना पर फलोदी एसपी विनीत कुमार बंसल व लोहावट थानाधिकारी सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जिले में नाकाबंदी करवाई तथा लुटेरों की तलाश शुरू की।

पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने बताया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवाड़ी व वृताधिकारी शंकरलाल के निर्देशन में एक टीम गठित की गई पुलिस टीम ने लुटेरों की तलाश शुरू की गई तो पोकरण के पास आरोपियों के गाड़ी द्वारा भागते हुए को पुलिस टीम द्वारा पीछा कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी अशोक पुत्र कुम्भाराम निवासी शैतान सिंहनगर, सहित अन्य बापर्दा दो गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ करने पर आरोपियों ने वारदात करना स्वीकार किया गया। घटना में लूटी गई राशि 96,000 रुपए अभी तक बरामद किये गए हैं, पुलिस शेष राशि व घटना में अन्य आरोपियों की सम्मिलित के बारें पूछताछ की जा रही है।

मांग सूचना

जबकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (इसके बाद 'आर्सिल' के रूप में संदर्भित) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है और वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रवर्तन की धारा 3 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है। सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (इसके बाद इसे 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा); और जबकि उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर/सह-बाध्यकारी और सहमतिकर्ता, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट के कॉलम नंबर 2 में उल्लिखित है, ने इंडसइंड बैंक लिमिटेड से ऋण प्राप्त किया है और जबकि आर्सिल ने वित्तीय परिसंपत्तियां हासिल की हैं (आर्सिल के एकमात्र ट्रस्टी के रूप में)- Arcil SBPS-I Trust") नीचे उल्लिखित चार्ट के कॉलम नंबर 1 में उल्लिखित ऋण खाते से संबंधित है; और जबकि आर्सिल, अधिनियम के तहत सुरक्षित लेनदार होने के नाते, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कॉलम नंबर 2 में उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं/सह-बाध्यकारी और सहमतिकर्ताओं को नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि को अतिरिक्त ब्याज के साथ चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया है। लेकिन विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को नोटिस जारी नहीं किया जा सका।

ऋण खाते का नाम/संख्या	कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर/सह-देनदार और सहमति देने वालों का नाम	बकाया	दिनांक 13(2) नोटिस
श्री सालासर एसोसिएट्स	1. श्री महेश मुथा 2. श्री अनिल मुथा 3. श्रीमती प्रेमलता मुथा सभी यहां रह रहे हैं: 17, बेसमेंट, अमरदीप कॉम्प्लेक्स, सरदारपुरा, जोधपुर, राजस्थान। इसके अलावा: 253, राम नगर, बीआर। बिड़ला पब्लिक स्कूल के पास, चोपासनी हाउसिंग बोर्ड के बाहर, जोधपुर इसके अलावा: प्लॉट नंबर 289, खसरा नंबर 98 ग्राम चोपासनी, राम नगर, भादू मार्केट, जोधपुर- 342008। इसके अलावा यहां: प्लॉट नंबर 423, खसरा नंबर 679, 679 / 1, 680, 681, 681/1, 682, 683 684, माँ वैष्णो देवी विहार, ग्राम चोखा, तहसील जिला- जोधपुर। इसके अलावा: प्लॉट नंबर 5, खसरा नंबर 158/1, आयुषी एन्क्लेव, ग्राम पाल, बाड़मेर रोड, जोधपुर।	रु. 3,93,02,061/- तीन करोड़ तिरानवे लाख दो हजार इकसठ रुपये मात्र) (25.07.2023) तक	31-जुलाई, 2023
अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण	**बंधक चल संपत्तियाँ:** फर्म की संपूर्ण वर्तमान परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कच्चा माल, प्रगति पर काम, तैयार माल और बही ऋण और चल अचल संपत्तियों सहित अन्य माल शामिल हैं। **संपत्ति/संपत्तियों का विवरण** 1. ग्राम चोपासनी, राम नगर, भादू मार्केट, जोधपुर-342008 के प्लॉट नंबर 289, खसरा नंबर 98 के सभी टुकड़े और पार्सल। 2. प्लॉट नंबर 423, खसरा नंबर 679, 679/1, 680, 681, 681/1, 682, 683 684, माँ वैष्णो देवी विहार, ग्राम चोखा, तहसील जिला-जोधपुर का समस्त टुकड़ा एवं पार्सल। 3. प्लॉट नंबर 5, खसरा नंबर 158/1, आयुषी एन्क्लेव, ग्राम पाल, बाड़मेर रोड, जोधपुर का समस्त टुकड़ा एवं पार्सल।		

इसलिए, कॉलम नंबर 2 में उल्लेखित उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं/गारंटरों/सह-बाध्यकारी और सहमतिकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उनसे संबंधित उधारकर्ताओं/के खिलाफ कॉलम नंबर 3 में दर्शाई गई कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। सह-उधारकर्ता/गारंटर, सह-बाध्यकारी और सहमतिकर्ता इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर, क्योंकि उक्त राशि कॉलम नंबर 4 में दर्शाई गई तारीख के अनुसार संबंधित ऋण खाते के संबंध में देय पाई जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अतिरिक्त ब्याज और अन्य राशियों के साथ कुल राशि, जो भुगतान की तारीख तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आर्सिल को संपत्तियों पर सुरक्षा ब्याज लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया जाएगा जैसा कि वर्णित है। पूर्वोक्त तालिका, अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित अन्य तरीकों से नोटिस की सेवा के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

स्थान : जोधपुर
दिनांक: 11.08.2023

हस्ताक्षर/- प्राधिकृत अधिकारी
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि.
सीआईएन : U65999MH2002PLC134884, वेबसाइट : www.arcil.co.in
पंजीकृत कार्यालय : दी रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापती बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई - 400 0028. दू. क्र. : 022-66581300

पंजीकृत कार्यालय: रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई- 400 028
टेलीफोन: +91 22 66581300
शाखा पता: फ्लैट नंबर 413, चौथी मंजिल, एम्बिशन टॉवर, प्लॉट # डी-46-बी , मालन का चौराहा, सुभाष मार्ग, अशोक सर्कल, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान-302 004

बाबा के मेले को लेकर कारीगर तैयार कर रहे घोड़े

समाधि पर चढ़ाने की मान्यता, 100 से 5 हजार तक की कीमत

जोधपुर (कासं)। लोकदेवता बाबा रामदेव का मेला अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन मेले को लेकर शहर के कलाकार इन दिनों कपड़े के घोड़े बनाने में जुटे हुए हैं। हर बार की तरह इस बार भी अलग-अलग साइज और ऊंचाई के घोड़े तैयार किए जा रहे हैं। ये 100 रुपए से लेकर 5000 तक की कीमत में बेचे जा रहे हैं। घास फूस और कपड़े से बने इन घोड़े को खरीद कर श्रद्धालु बाबा रामदेव के मंदिर मसूरिया और रामदेवरा में भी चढ़ाते हैं। जोधपुर से रवाना होने वाले कई पैदल यात्री भी अपने साथ इन घोड़ों को लेकर जाते हैं। दरअसल भाद्रपद महिना शुरू होते ही बाबा रामदेव के मंदिरों में श्रद्धालुओं की टोलियां दर्शन के लिए आती है। राजस्थान

के अलावा गुजरात, मध्यप्रदेश और भारत के अन्य राज्यों से भी यहां पैदल यात्री दर्शन के लिए आते हैं। इस दौरान मसूरिया मंदिर में दर्शन के बाद बाबा रामदेव की समाधि पर चढ़ाने के लिए प्रतीक घोड़े को भी लेकर जाते हैं। मान्यता है की पूरी मनोकामना पूरी होने पर जातरू समाधि पर घोड़ा चढ़ाते हैं।

इसी के चलते शहर में कई जगहों पर बाबा रामदेव के मंदिर में चढ़ाएं जाने वाले घोड़े बनाए जा रहे हैं। इसमें 4 से लेकर 12 फीट के घोड़े शामिल है। बाबा रामदेव के प्रतीक घोड़े को तैयार कर रहे हैं। एक विक्रेता ने बताया उनकी कई पीढ़ियां इस काम को करती आ रही है। हर साल भाद्रपद के मेले में घोड़ों को बेचकर 35 से 40 हजार की कमाई हो जाती है। इस काम के लिए उनके परिवार के नौ लोग जुटे हुए हैं। महिलाएं भी इसमें सहयोग कर रही है।

आसमान में उड़ाया घोड़ा

मान्यता है को बचपन में बाबा रामदेव ने खेल खेल में ही कपड़े के घोड़े को आसमान में उड़ा लिया था। बाबा रामदेव ने बाल्यकाल में अपनी माता मेणादे से घोड़े की सवारी की मांग की। तब उनकी माता ने बालक रामदेव को दर्जी से कपड़े का घोड़ा बना कर मंगवाया। ऐसी लोक मान्यता है कि उसी घोड़े की सवारी करके उस घोड़े को आकाश तक उड़ा कर सभी को अचंभित करते हुए अपने अवतारी पुरुष होने का संकेत दिया था। इन घोड़े में श्रद्धालु बाबा रामदेव का वास मानते हैं। इसलिए बसों या ट्रेन के माध्यम से रामदेवरा दर्शन के लिए जाने वाले भक्त घोड़े का भी अलग से टिकट लेते हैं। श्रद्धालुओं को भरोसा है कि बाबा उनके साथ हैं इसलिए उनके सारे संकट टल जाएंगे।

रामदेवरा में कई भक्त ओरिजनल घोड़े भी लाकर चढ़ाते हैं इसके लिए मंदिर समिति की ओर से अलग से अस्तबल भी बनाया गया है। जहां इन घोड़े को रखा जाता है। रामदेवरा देश का ऐसा मंदिर है जहां जीवित घोड़े भी श्रद्धालु चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन घोड़े पर बाबा रामदेव सवारी करते हैं।

JM FINANCIAL

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
कॉर्पोरेट पहचान संख्या: U67190MH2007PLC74287
पंजीकृत कार्यालय: 7वीं मंजिल, सेन्जी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025
संपर्क व्यक्ति : 1. गौरव श्रीवास्तव- 9479942515 2. रोहन सावंत- 9833143013 3. ज्योति सावंत-9967416409
वेबसाइट- www.jmfinancialarc.com

ई-नीलामी बिक्री सूचना-बाद की बिक्री

पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ने धारा 5 (1) (बी) के तहत सभी अधिकारों, शीर्षक और ब्याज के साथ अंतर्निहित सुरक्षा हित के साथ ऋण का एक पूल (नीचे उल्लेखित ऋण सहित) सौंपा है। जेएमएफएआरसी (जेएम) के पक्ष में 29 मार्च, 2023 (असाइनमेंट एग्रीमेंट) के एक असाइनमेंट समझौते के माध्यम से वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम)) (यहां असाइनी के रूप में संदर्भित) जेएमएफएआरसी- अन्या- ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रहा है। सूचित किया जाता है कि PCHFL को असाइनमेंट/सेवा अनुबंध के माध्यम से सभी परिचालन और प्रक्रिया प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदाता/संग्रह एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत और नियुक्त किया गया है। उधारकर्ताओं से देय राशि की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 (SARFAESI ACT) के तहत सुरक्षित ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा यहां उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने के लिए, अचल संपत्ति की खरीद के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जैसा कि यहां बताया गया है, जो भौतिक कब्जे में है, 'जैसा है जहां है के आधार पर', 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो है वह है के आधार पर', जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

ऋण कोड/शाखा/उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं)	मांग सूचना दिनांक और राशि	संपत्ति का पता-अंतिम	आरक्षित मूल्य	अग्रिम धन जमा (ईएमडी) (आरपी का 10%)	आवधारण मात्रा (05-08-2023)
ऋण कोड संख्या 04700004135 एवं 04700004420, जोधपुर (शाखा), विनोद वो (उधारकर्ता), तरूणा टी (सह-उधारकर्ता 1)	दिनांक: 20-07-2018, रु. 5,51,234/-, रु. पांच लाख इक्यावन हजार दो सौ चौंतीस केवल) एवं दिनांक: 20-07-2018, रु. 3,26,049/-, (रु. तीन लाख छब्बीस हजार उनचास मात्र)	संपत्ति के सभी टुकड़े और पार्सल एक सीमा तक: - प्लॉट नंबर 748 न्यू शक्ति नगर खसरा संख्या 661,662,663 पाली पाली राजस्थान:- 306401 उत्तर में सीमाएं: पी.एन. 736 दक्षिण: सड़क 20' पूर्व: पी.एन. 747 पश्चिम: पी.एन. 760	रु.5,00,000/-, (पांच लाख मात्र)	रु. 50,000/- (केवल पचास हजार)	रु. 9,68,555/-, (रु. नौ लाख अड़सठ हजार पांच सौ पचपन मात्र) एवं रु. 4,96,268/-, चार लाख छियानवे हजार दो सौ अड़सठ केवल)

ई-नीलामी की तिथि: 30-08-2023, प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ), बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 29-08-2023, शाम 4.00 बजे से पहले

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://www.jmfinancialarc.com/ Home/Assetsforsale या https://www.bankauction.in पर दिए गए लिंक को देखें।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को सरफेसी अधिनियम के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री नोटिस

उपर्युक्त उधारकर्ता/गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे धारा 13(2) में उल्लिखित राशि को नीलामी की तारीख से पहले अर्जित ब्याज के साथ पूरी राशि का भुगतान करें, अन्यथा संपत्ति की नीलामी/बेच दी जाएगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, चुका दिया जाएगा। उधारकर्ता/गारंटर से ब्याज और लागत सहित वसूल किया गया।

दिनांक : 11/08/2023
स्थान : राजस्थान

एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी)
(अन्या-ट्रस्ट)